संख्या-43 /2025/I/909723/38-2002-001-2-2023

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2025**

विषयः-**जनपद श्रावस्ती एवं चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में** ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-836/टी0सी013(6)/2009-10, दिनांक 03 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद श्रावस्ती एवं चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 3078.40 लाख (अनावासीय भवन के निर्माण की लागत रू0 2527.71 लाख) का मानकीकरण कतिपय शर्तो के अधीन शासनादेश संख्या-I/867821/2025-एस-285/38-2-2024, दिनांक 31 जनवरी 2025 द्वारा किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत धनराशि रू0 3078.40 लाख में अनावासीय भवन के निर्माण कार्य की लागत रू0 2527.71 लाख के सापेक्ष जनपद श्रावस्ती में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 2527.71 लाख एवं जनपद चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 2527.71 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रथम किश्त के रूप में जनपद श्रावस्ती एवं चित्रकूट में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु क्रमशः धनराशि रू0 884.698 लाख एवं धनराशि रू0 884.698 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 1769.396 लाख (रूपये सत्रह लाख उनहत्तर लाख उनतालीस हजार छः सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा अन्य/सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत मानक आगणन में भवनों के निर्माण हेतु राफ्ट फाउण्डेशन का प्रावधान किया गया है। अन्य जनपदों में भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं इसकी मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फाउण्डेनशन का प्रकार उक्त से इतर हो सकता है। अतः मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फाउन्डेशन का निर्धारण किया जाये।

(3) इस मानकीकरण के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु की जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक निर्विवादित एवं निर्माण हेतु उचित भूमि उपलब्ध हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत उपलब्ध भूमि के अनुरूप वाह्य स्थल के कार्यों यथा-सी0सी0 रोड, ड्रेन, इंटरलाकिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरिंग आदि की लागत एवं मात्रायें भिन्न हो सकती है। अतः उक्त हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया जाये।

(5) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

(7) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(8) प्रायोजना स्थल के अनुसार यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव की लागत उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-272कैम्पर/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-294कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 के आधार पर लागू जनपदीय अनुसूची दरों/कास्ट इन्डेक्स0/फैक्टर के कारण भिन्न हो सकती हैं।

(11) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट निर्माण हेतु केवल सिविल लागत का प्रावधान एकेडमिक ब्लाक (02 नग), 100 बेडेड हास्टल हेतु (02 नग) एवं 60 बेडेड गर्ल्स हास्टल (01 नग) में किया गया है। प्रभाग द्वारा एकेडमिक ब्लाक हेतु एक नग लिफ्ट 13 पैसेन्जर एवं सोलर पावर वोल्टेक 50 के0वी0ए0 की लागत अनुमन्य की गयी है।

(12) प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई मद में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण इस मद में फिलहाल एकमुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि मिट्टी हेतु अनुमन्य की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा गठित रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर मिट्टी भराई मद में धनराशि देय होगी।

(13) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को भेजी जाय।

(15) इस धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(17) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(20) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(22) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21-06-2017 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(26) प्रस्तावित निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट से कराया जायेगा।

(27) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(28) प्रश्नागत निर्माण कार्य में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव में निर्धारित शर्तो का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(30) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्यायिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,69,39,600 (रुपये सत्रह करोड़ उनहत्तर लाख उनतालीस हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 013 **लेखाशीर्षक** 4059010510500 जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक भवन व छात्रावास **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई-2-241/दस-2024-25, दिनांक- 12 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-43 /2025/I/909723/38-2002-001-2-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री प्रहलाद बरनवाल, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनु0-4
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3 एवं 5
8- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड लखनऊ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।